

छत्तीसगढ़ शासन

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ 20-61/2024/11/6
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 02.01.2025

1. **संचालक,**
उद्योग संचालनालय,
छत्तीसगढ़, रायपुर।
2. **मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक,**
समस्त जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
छत्तीसगढ़।

विषय:- औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु औद्योगिक नीति का विकल्प लेने बाबत।

1. उपरोक्त विषय में राज्य सरकार की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 की कंडिका (12.14) में निम्नानुसार प्रावधान हैं :-

“(12.14) (अ) जिन सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा अथवा अल्ट्रामेगा उद्यमों के द्वारा औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत उद्यम की स्थापना के लिए कार्यवाही आरंभ की जा चुकी हो एवं औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में परिभाषित “**प्रभावी कदम**” के चारों चरण दिनांक 01/11/2024 से पूर्व पूर्ण किये जा चुके हों, ऐसे उद्यमों को यह अवसर उपलब्ध होगा कि वे औद्योगिक नीति 2019-24 के औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन का विकल्प चुन सकेंगे। **एक बार लिया गया विकल्प अपरिवर्तनीय होगा।**

(ब) विकल्प चयन न किये जाने की स्थिति में इकाई जिस नीति के कार्यकाल में इकाई उत्पादन में आएगी, उस तिथि को लागू नीति का लाभ लिए जाने की पात्रता होगी। पूर्व से स्थापनारत उद्यमों द्वारा औद्योगिक विकास नीति 2024-30 का विकल्प लिये जाने की स्थिति में अथवा कोई विकल्प न लिए जाने की स्थिति में इकाई को औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत प्राप्त किये गये सुविधाओं के समतुल्य राशि को वापस किया जाना अनिवार्य होगा।

(स) विकल्प चयन के लिए इस नीति के लागू होने के तिथि के पश्चात् अधिकतम 90 दिवस में विकल्प चयन की सूचना संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/उद्योग संचालनालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।

(द) औद्योगिक नीति 2019-24 का विकल्प लेने की स्थिति में उद्यम को उद्यम आकांक्षा/आई.ई.एम. जारी होने की तिथि से सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के मामले में दो वर्ष, मध्यम उद्यम के मामले में तीन वर्ष, वृहद उद्यम के मामले में चार वर्ष एवं अन्य उद्यमों के मामले में अधिकतम पांच वर्ष के भीतर प्रस्तावित परियोजना को पूर्ण करना होगा।



(इ) औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा जिन निवेशकों के लिये बी-स्पोक पैकेज अधिसूचित किया जा चुका है ऐसे निवेशकों को यह विकल्प उपलब्ध होगा कि वे औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत उनके पक्ष में अधिसूचित पैकेज के अंतर्गत दिये जाने वाले औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन का विकल्प, संबंधित अधिसूचना पैकेज में वर्णित शर्तों के साथ ही/शर्तों के अधीन यथावत प्राप्त कर सकेंगे।”

2. औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के परिशिष्ट-1 में निम्नानुसार परिभाषित है:-

“(51) **प्रभावी कदम** - प्रभावी कदम से आशय होगा कि : -

(1) इकाई ने भूमि का वैद्य आधिपत्य प्राप्त कर लिया हो।

(2) इकाई ने परियोजना प्रतिवेदन अनुसार शेड/भवन में प्रस्तावित पूंजी निवेश का 10 प्रतिशत व्यय कर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया हो, तथा

(3) इकाई ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र एवं मशीनरी का अग्रिम राशि के साथ पक्का क्रय आदेश दिया जा चुका हो।

(4) इकाई ने परियोजना के लिये वैधानिक अनुमतियों/ सम्मतियों/ अनापत्तियों के लिये संबंधित विभाग/कार्यालय में आवेदन यथा स्थापना की अनुमति, भवन निर्माण अनुज्ञा आदि प्रस्तुत कर दिया हो।”

3. विकल्प के चयन के विषय में यह स्पष्ट किया जाता है कि

(1) आंशिक विकल्प (कुछ अनुदान, छूट, रियायतें औद्योगिक नीति 2019-24 की एवं कुछ अनुदान, छूट, रियायतें औद्योगिक विकास नीति 2024-30 की) स्वीकार नहीं किया जावेगा। परंतु, यदि किसी निवेशक द्वारा औद्योगिक नीति 2019-24 की अवधि में मात्र भू-व्यपवर्तन शुल्क में छूट/स्टॉम्प शुल्क छूट/भूमि प्रब्याजी पर छूट/मार्जिन मनी सुविधा प्राप्त की गई हो, तो इकाई द्वारा औद्योगिक विकास नीति 2024-30 का विकल्प चयन करने पर, उक्त छूट/सुविधा की राशि वापस किये बिना, इकाई को शेष अन्य अनुदान, छूट एवं रियायत औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में पात्रतानुसार प्राप्त होगी।

(2) जिन पात्र उद्योगों ने औद्योगिक नीति 2019-24 का विकल्प लिया है एवं औद्योगिक विकास नीति 2024-30 की कंडिका (12.14) (द) के अनुसार निर्धारित समयावधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं कर पाते हैं तो उन्हें औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में पात्र होने पर, औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में घोषित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु अनुदान, छूट एवं रियायतों की पात्रता होगी।

(3) जिन पात्र उद्योगों ने औद्योगिक नीति 2019-24 का विकल्प लिया है एवं औद्योगिक विकास नीति 2024-30 की कंडिका (12.14) (द) के अनुसार निर्धारित समयावधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं कर पाते हैं तथा उद्योग औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में अपात्र श्रेणी के उद्योगों में सम्मिलित हैं तथा औद्योगिक नीति 2019-24 में प्रावधानित अनुदान/छूट/रियायतें प्राप्त की है तो इकाई द्वारा प्राप्त अनुदान/छूट/रियायत की राशि नियमानुसार जमा करना होगा।

(4) औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा जिन निवेशकों के लिये बी-स्पोक पैकेज अधिसूचित हो, उनके द्वारा औद्योगिक नीति 2019-24 के परिशिष्ट-6.19 (यथा संशोधित दिनांक 27.07.2023) के अनुसार निर्धारित समयावधि (राशि रु. 25 करोड़ तक निवेश करने वाले निवेशकों हेतु विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज अधिसूचित होने के दिनांक से 2 वर्ष, राशि रु. 25 से 100 करोड़ तक 3 वर्ष, राशि रु. 101 से 500 करोड़ तक 4 वर्ष, राशि रु. 501 से 1000 करोड़ तक 5 वर्ष एवं राशि रु. 1001 से अधिक के निवेश पर 7 वर्ष) के भीतर प्रथम वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किये जाने पर, उन्हें औद्योगिक नीति 2019-24 अंतर्गत जारी बी-स्पोक पैकेज की

पात्रता होगी, किंतु ऐसे निवेशक जो उक्त समयावधि के पश्चात् उत्पादन प्रारंभ कर रहे हैं, उन्हें औद्योगिक नीति 2019-24 अंतर्गत घोषित बी-स्पोक पैकेज हेतु उपरोक्त वर्णित शर्तों के अधीन विकल्प प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

उक्त परिधि में बी-स्पोक पैकेज प्राप्त कर औद्योगिक विकास नीति 2024-30 की कालावधि में प्रथम वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाली ऐसी इकाईयां, जो औद्योगिक विकास नीति 2024-30 अंतर्गत अनुदान/छूट/रियायतें प्राप्त करना चाहती हैं, उन्हें भी उपरोक्त वर्णित शर्तों के अधीन निर्धारित समयावधि में विकल्प प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

4.(1) उपरोक्तानुसार पात्र इकाईयों हेतु विकल्प का ऑनलाईन आवेदन विभाग की वेबसाइट पर दिनांक **31 मार्च, 2025 तक** उपलब्ध रहेगा। इकाई द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ भूमि क्रय/पट्टाभिलेख की पंजीकृत प्रति, सी.ए. प्रमाण पत्र की प्रति (प्ररूप-3), यंत्र संयंत्र क्रय आदेश प्रति एवं **विकल्प संबंधी शपथ पत्र** (प्ररूप-1 अथवा प्ररूप-2) अपलोड किया जाना होगा।

(2) औद्योगिक विकास नीति 2024-30 लागू होने के पश्चात उद्योग संचालनालय या जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्राप्त विकल्प के पत्राचारों में इन निर्देशों के अनुसार ऑनलाईन कार्यवाही संबंधित कार्यालय सुनिश्चित करें।

5. आवेदक द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों का परीक्षण करने के उपरांत आवेदन पूर्ण पाये जाने पर 15 कार्य दिवस के भीतर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के प्रकरणों में संबंधित मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से भिन्न प्रकरणों में उद्योग संचालनालय द्वारा **विकल्प प्रमाण पत्र** ऑनलाईन जारी किया जाएगा।

1
a
(रजत कुमार)
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

विकल्प शपथ पत्र

(औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के बिन्दु क्रमांक 12.14 के तहत आर्थिक प्रोत्साहन बाबत औद्योगिक नीति 2019-24 का विकल्प लेने बाबत) शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में न्यूनतम रू. 50 के स्टाम्प पर नोटरीज्ड प्रस्तुत किया जावे

- में आत्मज
- प्रो./साझेदार/संचालक/सदस्य/अधिकृत प्रतिनिधि मेसर्स
- फैक्ट्री स्थल..... घोषित करता हूँ कि -
- 1- मैंने औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के बिन्दु क्रमांक 12.14 तथा इसके तारतम्य में छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना/आदेश क्रमांक दिनांक का अध्ययन कर लिया है।
- 2- मैं औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के प्रावधान बिन्दु क्रमांक 12.14 के संदर्भ में औद्योगिक इकाई मेसर्स द्वारा औद्योगिक नीति 2019-24 में प्रावधानित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु अनुदान, छूट, रियायतों का विकल्प का चयन करता हूँ।
- 3- मेरे द्वारा औद्योगिक विकास नीति व शासन के समस्त नियमों का पालन किया जावेगा तथा नीति में वर्णित किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर प्राप्त अनुदान/छूट/रियायत की राशि नियमानुसार जमा किया जावेगा।

स्थान :
दिनांक:

हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता
सील

विकल्प शपथ पत्र

(उपरोक्त परिपत्र के कंडिका क्रमांक 9 के अंतर्गत औद्योगिक विकास नीति
2024-30 का विकल्प लेने बाबत)

शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में न्यूनतम रु. 50 के स्टाम्प पर नोटराईज्ड प्रस्तुत किया जावे

- मैं आत्मज
- प्रो./साझेदार/संचालक/सदस्य/अधिकृत प्रतिनिधि मेसर्स
- फैक्ट्री स्थल..... घोषित करता हूँ कि -
- 1- मैंने औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के बिन्दु क्रमांक 12.14 तथा इसके तारतम्य में छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना/आदेश क्रमांक दिनांक का अध्ययन कर लिया है ।
- 2- मैं औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के प्रावधान बिन्दु क्रमांक 12.14 के संदर्भ में औद्योगिक इकाई मेसर्स द्वारा औद्योगिक नीति 2024-30 में प्रावधानित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु अनुदान, छूट, रियायतों का विकल्प का चयन करता हूँ।
- 3- मेरे द्वारा औद्योगिक विकास नीति व शासन के समस्त नियमों का पालन किया जावेगा तथा नीति में वर्णित किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर प्राप्त अनुदान/छूट/रियायत की राशि नियमानुसार जमा किया जावेगा।

स्थान :
दिनांक:

हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता
सील

(चार्टर्ड एकाउण्टेंट का प्रमाण-पत्र)
(लेटर-हेड पर मूल प्रति में)

1. औद्योगिक इकाईजिसका पंजीकृत पताहै व फैक्ट्री.....में स्थित है, जिसका उद्यम आकांक्षा क्र दिनांक है। प्रमाणित किया जाता है कि इकाई द्वारा परियोजना प्रतिवेदन अनुसार उद्यम आकांक्षा जारी दिनांक से 31.10.2024 तक भूमि/प्रकोष्ठ/शेड/भवन में प्रस्तावित पूंजी निवेश का न्यूनतम 10 प्रतिशत व्यय कर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। परियोजना प्रतिवेदन अनुसार कुल प्रस्तावित निवेश की राशि रूपये है। दिनांक 31.10.2024 तक किया गया निवेश रूपये है एवं निवेश का प्रतिशत है।

2. मैं/हम एतद् द्वारा सुनिश्चित करता हूं/करते है कि मैं/हम निर्धारित पंजी, लेखा पंजी एवं उक्त इकाई के संबंध में बैंक स्टेटमेंट का अवलोकन-सह-परीक्षण कर चुका हूं/चुके हैं।

3. मैं/हम पूरी तरह से समझता हूं/समझते हैं कि इस प्रमाण-पत्र में दर्शाये गये जानकारी यदि असत्य अथवा झूठ सिद्ध होती है तो मैं/हम दंडात्मक कार्यवाही या अन्य परिणाम जो विधि में निर्धारित हो सकें या अन्यथा सुनिश्चित हो, के योग्य होंगे।

दिनांक

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर

चार्टर्ड एकाउण्टेंट का नाम व पता
सील व हस्ताक्षर
सदस्यता क्रमांक
यूडीआईएन नं.